

**वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,**

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-6510/3046

दिनांक : 11/03/2024

सेवा में

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of forest land for access to G.D Group of Institute (run by Lala Kundan Lal Memorial) along Fatehabad-Bhuna road, near km. stone 24, RHS under Forest Division and Distt. Fatehabad.

Online Proposal No. (Online Proposal No. FP/HR/SCH/15788/2015)

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB044/2006-CHA दिनांक 18.07.2023 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज-I स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :-

- 2 A (i-v) प्रस्ताव में सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 26728/- रुपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।
- vi एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
- vii वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है।
- viii मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा कैम्पा (स्टेट अथोरिटी) पंचकुला द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध किया जाता है कि यह शर्त स्टेज-II स्वीकृति में अंकित करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त स्टेज-I 2B से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-II स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला।

11/03/24 11.3.24

**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL
FOREST DWELLERS (RECONGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.**

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT : Diversion of **0.0066 Ha.** of Forest Land for access to **G.D. Group of Institute (run by Lal Kundan Lal Memorial Society)** along **Fatehabad - Bhuna Road, near K.M. Stone 24, R/Side** for Fatehabad District/Forest Division falls within jurisdiction of **Bhuna** village(s) in **Fatehabad** District(s).

It is certified that the Forest Land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.


District Collector
Fatehabad
Signature
District Collector,
Fatehabad. (with Seal)


Divisional Forest Officer
Fatehabad


28-02-2023

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्र Andhra

संयुक्त राज्य Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-01-2024

Agency Name.	OTHERS
Application No.	6215788892
MoEF/SG File No.	9-HRB044-2016-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	G D Group of Institute Fatehabad
Amount(in Rs)	26728/-

Amount in Words :Twenty-Six Thousand Seven Hundred and
Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150696215788892 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan
even after 7 working days, then kindly mail a copy of you
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@un
ubin0903710@unionbankofindia.bank



**वन विभाग, कार्यालय****वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद**

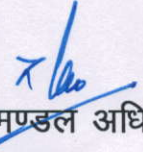
पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का0/फैक्स)

Undertaking

Diversion of 0.0066 Ha. of Forest Land for access to G.D. Group of Institute (run by Lala Kundan Lal Memorial Society) along Fatehabad-Bhuna Road, near Km. Stone 24, R/Side under Forest Division and District Fatehabad.

Proposal No.:- FP/HR/SCH/15788/2015

यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा।


वन मण्डल अधिकारी, (क्षे0),
फतेहाबाद।

**वन विभाग, कार्यालय****वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद**

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का0/फैक्स)

Undertaking

Diversion of 0.0066 Ha. of Forest Land for access to G.D. Group of Institute (run by Lala Kundan Lal Memorial Society) along Fatehabad-Bhuna Road, near Km. Stone 24, R/Side under Forest Division and District Fatehabad.

Proposal No.:- FP/HR/SCH/15788/2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयाकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

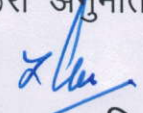
वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- iii. सी.ए. योजना के अनुसार, 20 पौधे लगाकर, degraded वन भूमि कम्पार्टमेंट न. **Bhattu Ramsara Road KM 2 to 12 L/R, Fatehabad Range** जिला-फतेहाबाद पर सी.ए. किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- iv. यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा।
- v. भौतिक लक्ष्य एवं बजट नोडल अधिकारी द्वारा अलाट करने उपरांत पौधारोपण करवाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी।
- vi. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
- vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगी।
- ix. इस प्रस्ताव को 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके उपरान्त यह अनुमति भारत सरकार से करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह समाप्त होगी।

**वन विभाग, कार्यालय****वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद**

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का0/फैक्स)

- x. प्रयोक्ता एजेन्सी साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाने व साथ लगते वन और वन भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न करने हेतु बाध्य होगी।
- xi. प्रयोक्ता एजेन्सी स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करने हेतु बाध्य होगी।
- xii. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित स्थल के ले आउट प्लान को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदलने हेतु बाध्य होगी।
- xiii. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेन्सी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-2 पर लगाई गई शर्तों की अनुपालना हेतु बाध्य होगी।
- xv. यदि आवश्यक हुआ तो प्रयोक्ता एजेन्सी को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- xvi. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
- xvii. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।


वन मण्डल अधिकारी, (क्षे0),
फतेहाबाद।

For Lala Kundan Lal Memorial Society


President